संख्या- 95 /2023/ 739 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2023

विषय- मा0 राष्ट्रपति जी के उ0 प्र0 में कानपुर देहात, गोरखपुर एवं मगहर में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0- 4168 /सं0नि0-15(12)/2022-23 दिनांक 03 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार मा0 राष्ट्रपति जी के उ0प्र0 में कानपुर देहात, गोरखपुर एवं मगहर में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए वास्तवित व्यय रू0 1,21,276 (रू0 एक लाख इक्कीस हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) समस्त कार्यों का सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों हेतु कदापि व्यय नही किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एंव प्रशासन -03- संस्कृति निदेशालय-42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या- 95 /2023/ 739 (1) /चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।